



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112022-240406
CG-DL-E-18112022-240406

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5158]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 18, 2022/कार्तिक 27, 1944

No. 5158]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 18, 2022/KARTIKA 27, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2022

का.आ. 5385(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3020 (अ) तारीख 29.06.2022 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 01.08.2022, में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में मुम्बई – नागपुर – झारसुगुडा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के खंड नागपुर - जबलपुर पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

मुम्बई-नागपुर-झारसुगुडा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन						
अनुभाग-नागपुर-जबलपुर						
अनुसूची						
राज्य : मध्यप्रदेश						
जिला	तहसील	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्गमीटर
1	2	3	4	5		
छिंदवाड़ा	सौंसर	रंगारी ठोका	474	00	11	66
			498	00	24	22
			499	00	04	02
			500	00	38	91
			541	00	11	55
			544	00	08	89
			491	00	00	85
			458	00	12	06
			545	00	03	58
			546	00	10	36
			549/1, 549/2, 549/3	00	12	47
			550	00	08	52
			552	00	21	35
			331/1, 331/2	00	10	21
			332	00	00	78
			333	00	05	29
			348	00	03	17
			329	00	03	87
			328	00	25	51
			327	00	20	26
			326	00	22	14
			246	00	22	60
			247	00	09	08
			248	00	01	04
			226	00	10	48
			227	00	19	68
			215	00	06	33
			216	00	13	79
			207	00	13	52
			206	00	15	01
			205	00	06	02
			208	00	00	01
			203	00	24	14
			202	00	02	34

			201	00	02	99
			368	00	04	04
			91	00	03	90
			92	00	09	24
			93	00	02	93
			85	00	03	16
			97	00	01	91
			82	00	01	53
			98	00	07	47
			81	00	11	96
			80/1, 80/2	00	03	22
			78	00	21	31
			77	00	04	12
छिंदवाड़ा	सौंसर	रंगारी सोपर	348	00	02	70
			311	00	25	28
			310	00	09	25
			308	00	02	96
			287	00	08	91
			292	00	09	12
			291	00	12	10
			294	00	01	17
			295	00	08	61
			296/1, 296/2	00	10	13
			297	00	06	92
			299	00	07	90
			298	00	01	09
			301/1, 301/2	00	10	60
			262	00	04	14
			209	00	04	37
			260	00	11	85
			261	00	21	62
			206	00	17	85
			207	00	11	09
			205	00	00	26
			199	00	04	76
			120	00	08	76
			121	00	09	42
			132	00	01	31
			131	00	09	99
			130	00	09	45
			122	00	00	79
			129	00	29	01
			128	00	33	06

[फा. सं. एल-14014/145/2022-जीपी-II)(ई-43446)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18 October, 2022

S.O. 5385(E).—Whereas, by notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. 3020 (E) dated 29.06.2022 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated 01.08.2022, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through **Nagpur – Jabalpur Pipeline section of Mumbai – Nagpur – Jharsuguda Pipeline Project** in the State of **Madhya Pradesh** by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

Mumbai-Nagpur-Jharsuguda Natural Gas Pipeline						
Section - Nagpur - Jabalpur						
SCHEDULE						
State : Madhya Pradesh						
District	Tehsil	Village	Survey No.	Area		
				Hect.	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5		
Chhindwara	Sausar	Rangari Thoka	474	00	11	66
			498	00	24	22
			499	00	04	02
			500	00	38	91
			541	00	11	55
			544	00	08	89
			491	00	00	85
			458	00	12	06
			545	00	03	58
			546	00	10	36
			549/1, 549/2, 549/3	00	12	47
			550	00	08	52
			552	00	21	35
			331/1, 331/2	00	10	21
			332	00	00	78
			333	00	05	29
			348	00	03	17
			329	00	03	87
			328	00	25	51
			327	00	20	26
			326	00	22	14
			246	00	22	60
			247	00	09	08
			248	00	01	04
			226	00	10	48
			227	00	19	68
			215	00	06	33

			216	00	13	79
			207	00	13	52
			206	00	15	01
			205	00	06	02
			208	00	00	01
			203	00	24	14
			202	00	02	34
			201	00	02	99
			368	00	04	04
			91	00	03	90
			92	00	09	24
			93	00	02	93
			85	00	03	16
			97	00	01	91
			82	00	01	53
			98	00	07	47
			81	00	11	96
			80/1, 80/2	00	03	22
			78	00	21	31
			77	00	04	12
Chhindwara	Sausar	Rangari Sopar	348	00	02	70
			311	00	25	28
			310	00	09	25
			308	00	02	96
			287	00	08	91
			292	00	09	12
			291	00	12	10
			294	00	01	17
			295	00	08	61
			296/1, 296/2	00	10	13
			297	00	06	92
			299	00	07	90
			298	00	01	09
			301/1, 301/2	00	10	60
			262	00	04	14
			209	00	04	37
			260	00	11	85
			261	00	21	62
			206	00	17	85
			207	00	11	09
			205	00	00	26
			199	00	04	76
			120	00	08	76
			121	00	09	42
			132	00	01	31
			131	00	09	99
			130	00	09	45
			122	00	00	79
			129	00	29	01
			128	00	33	06

[F. No. L-14014/145/2022-GP-II) (E-43446]

RAKESH MISHRA, Under Secy.